झारखंड उच्च न्यायालय रांची

आपराधिक विविध याचिका सं० 3027/2023

1. अवधेश कुमार मंडल, उम्र लगभग 60 वर्ष
2. मिथिलेश कुमार मंडल उर्फ मिथिलेश मंडल, उम्र लगभग 56 वर्ष

दोनों पिता - श्री रामजी मंडल

3. रामजी मंडल, उम्र लगभग 89 वर्ष, पिता - स्वर्गीय गोखुल मंडल
4. मो. इसराइल, उम्र लगभग 48 वर्ष, पिता - स्वर्गीय अब्दुल लतीफ

सभी गांव - अदलहातु, डाकघर– रांची यूनिवर्सिटी, थाना - बरियातु, जिला - रांची के निवासी है ..... याचिकाकर्ता

-बनाम-

झारखंड राज्य ..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ताओं की ओर से: श्री अनिल कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

राज्य की ओर से: सुश्री नेहला शर्मिन, विशेष पीपी

सूचनाकर्ता की ओर से: श्री अतुल कुमार तिवारी, अधिवक्ता।

<u>उपस्थित</u>

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- **<u>आई०ए० संख्या० 10613/ 2023</u>**

पक्षों को सुना गया।

यह अंतरिम आवेदन याचिकाकर्ता संख्या 3- रामजी मंडल का नाम हटाने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है, क्योंकि उनकी मृत्यु 14.09.2023 को हो गई थी।

प्रार्थना स्वीकार की जाती है।

रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह आपराधिक विविध याचिका के वाद शीर्षक से याचिकाकर्ता संख्या 3- रामजी मंडल का नाम हटाकर आवश्यक सुधार करे। इस अंतरिम आवेदन का निस्तारित किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी)

2. यह आपराधिक विविध याचिका धारा 482 सी.आर.पी.सी के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर की गई है, जिसमें 24.10.2008 को बरियातू

थाना केस संख्या 114/2005 के संबंध में संज्ञान लेने के आदेश सहित संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जो जीआर संख्या 2250/2005 के अनुरूप है, जिसके तहत और जहां विद्वान सीजेएम-प्रभारी, रांची ने आई.पी.सी की धाराओं 147, 148, 149, 323, 324, 447, 504, 427, 379, 385 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ संज्ञान लिया था।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील और सूचक के विद्वान वकील ने संयुक्त रूप से न्यायालय का ध्यान अंतरिम आवेदन संख्या 2106/2024 की ओर आकर्षित किया, जो याचिकाकर्ताओं और सूचक पीड़ित के जोड़ीदार के अलग-अलग हलफनामे द्वारा समर्थित है, प्रस्तुत करते हैं कि इसमें उल्लेख किया गया है कि पक्षों ने पक्षों के शुभचिंतकों की मदद से अदालत के बाहर अपने विवाद और शिकायत का निपटारा कर लिया है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील और सूचक के विद्वान वकील ने संयुक्त रूप से आगे यह भी प्रस्तुत किया कि पक्षों के बीच समझौते को देखते हुए सूचक मामले को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं रखता है, इसलिए याचिकाकर्ताओं की सजा की संभावना बहुत कम है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि पक्षों के बीच विवाद एक निजी विवाद है और मामले में कोई सार्वजनिक नीति शामिल नहीं है, इसलिए बरियातू थाना केस संख्या के संबंध में आपराधिक कार्यवाही जारी रखी जाती है। 114/2005 के अनुसार जी.आर. संख्या 2250/2005, कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और पक्षों के बीच समझौता होने के बाद आपराधिक कार्यवाही जारी रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा, इसलिए, यह संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि जी.आर. संख्या 2250/2005 के अनुरूप बरियातू थाना केस संख्या 114/2005 के संबंध में दिनांक 24.10.2008 को संज्ञान लेने के आदेश सहित संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही याचिकाकर्ताओं के खिलाफ रद्द की जाए।

4. विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने प्रस्तुत किया है कि राज्य को पक्षकारों के बीच हुए समझौते के मद्देनजर बरियातू थाना केस संख्या 114/2005, जो जी.आर. संख्या 2250/2005 के अनुरूप है, के संबंध में दिनांक 24.10.2008 के संज्ञान लेने के आदेश सहित संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं है।

5. बार में प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतीकरणों को सुनने और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को देखने के बाद, यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय को परबतभाई आहिर @ परबतभाई भीमसिंहभाई करमूर और अन्य बनाम

गुजरात राज्य और अन्य (2017) 9 एससीसी 641 में रिपोर्ट किए गए मामले में पार्टियों के बीच समझौते के आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर विचार करने का अवसर मिला था और पैराग्राफ संख्या **11** में निम्नानुसार माना गया है:-

> **11**. धारा 482 में एक प्रमुख प्रावधान है। यह कानून उच्च न्यायालय को एक उच्च न्यायालय के रूप में ऐसे आदेश देने की अंतर्निहित शक्ति प्रदान करता है जो (i) किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए; या (ii) अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक हैं। ज्ञान सिंह [ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2012) 10 एससीसी 303: (2012) 4 एससीसी (सिविल) 1188: (2013) 1 एससीसी(क्री.) 160: (2012) 2 एससीसी (एल&एस) 988] में इस न्यायालय के तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ ने इस विषय पर मिसाल कायम की और मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए, जिन पर उच्च न्यायालय को यह निर्धारित करने में विचार करना चाहिए कि अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में एफआईआर या शिकायत को रद्द किया जाए या नहीं। उच्च न्यायालय को जिन बातों पर विचार करना चाहिए वे हैं: (एससीसी पृ. 342-43, पैरा 61)
>
> > **61**. ... अपने निहित अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किसी आपराधिक कार्यवाही या एफआईआर या शिकायत को रद्द करने में उच्च न्यायालय की शक्ति, धारा 320 के अंतर्गत अपराधों को कम करने के लिए आपराधिक न्यायालय को दी गई शक्ति से भिन्न और अलग है। निहित शक्ति व्यापक है और इसमें कोई वैधानिक सीमा नहीं है, लेकिन इसका प्रयोग ऐसी शक्ति में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए, जैसे: (i) न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करना, या (ii) किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना। आपराधिक कार्यवाही या शिकायत या एफआईआर को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग किन मामलों में किया जा सकता है, जहां अपराधी और पीड़ित ने अपने विवाद को सुलझा लिया है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और कोई श्रेणी निर्धारित नहीं की जा सकती है। हालांकि, ऐसी शक्ति का प्रयोग करने से पहले, उच्च न्यायालय को अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर उचित ध्यान देना चाहिए। मानसिक विकृति के जघन्य और गंभीर अपराध या हत्या, बलात्कार, डकैती आदि जैसे अपराध उचित रूप से रद्द नहीं किए जा सकते, भले ही पीड़ित या पीड़ित के परिवार और अपराधी ने विवाद सुलझा लिया हो। ऐसे अपराध निजी प्रकृति के नहीं होते और समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। इसी तरह, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष क़ानूनों के तहत अपराधों या उस क्षमता में काम करते हुए सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए गए अपराधों आदि के संबंध में पीड़ित और अपराधी के बीच कोई समझौता ऐसे अपराधों से जुड़ी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का कोई आधार नहीं दे सकता। लेकिन आपराधिक मामले जिनमें मुख्य रूप से सिविल मामले शामिल हैं, निरस्तीकरण के लिए अलग आधार पर आते हैं, विशेष रूप से वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, सिविल, साझेदारी या इस तरह के लेन-देन से उत्पन्न अपराध या दहेज आदि से संबंधित विवाह से उत्पन्न

> अपराध या पारिवारिक विवाद जहां गलती मूल रूप से निजी या व्यक्तिगत प्रकृति की है और पक्षों ने अपना पूरा विवाद सुलझा लिया है। इस श्रेणी के मामलों में, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को निरस्त कर सकता है यदि उसके विचार में, अपराधी और पीड़ित के बीच समझौते के कारण, दोषसिद्धि की संभावना बहुत कम है और आपराधिक मामले को जारी रखने से अभियुक्त को बहुत अधिक उत्पीड़न और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ेगा और पीड़ित के साथ पूर्ण और संपूर्ण समझौता होने के बावजूद आपराधिक मामले को निरस्त न करने से उसके साथ अत्यधिक अन्याय होगा। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या आपराधिक कार्यवाही जारी रखना न्याय के हित के विरुद्ध या अनुचित होगा या आपराधिक कार्यवाही जारी रखना पीड़ित और अपराधी के बीच समझौते के बावजूद कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और क्या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए यह उचित है कि आपराधिक मामले को समाप्त कर दिया जाए और यदि उपरोक्त प्रश्न(ओं) का उत्तर सकारात्मक है, तो उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के अपने अधिकार क्षेत्र में होगा। (जोर दिया गया)।

6. अपराधियों और पीड़ित के बीच समझौता होने के कारण, दोषसिद्धि की संभावना बहुत कम है और आपराधिक मामले को जारी रखने से आरोपी व्यक्तियों को बहुत अधिक उत्पीड़न और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ेगा और पीड़ित के साथ पूर्ण समझौता होने के बावजूद आपराधिक मामले को रद्द न करने से उनके साथ बहुत अन्याय होगा।

7. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत किए गए निवेदन के मद्देनजर, यह न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि पक्षों ने अपने पूरे विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है और इस प्रकार, इस न्यायालय की सुविचारित राय में, आपराधिक कार्यवाही जारी रखना अनुचित और न्याय के हित के विपरीत होगा और आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और न्याय के हित में, यह उचित है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ पूरी आपराधिक कार्यवाही को समाप्त कर दिया जाए।

8. तदनुसार, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ बरियातू थाना केस संख्या 114/2005 जो जी.आर. संख्या 2250/2005 से संबंधित है, के संबंध में दिनांक 24.10.2008 को संज्ञान लेने के आदेश सहित संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया गया है।

9. परिणामस्वरूप, इस आपराधिक विविध याचिका को अनुमति दी जाती है और तदनुसार, उक्त अंतरिम आवेदन संख्या 2106/2024 का भी निस्तारित किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी)

झारखण्ड उच्च न्यायालय,रांची
दिनांकित, 11 मार्च, 2024
Smita/AFR

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।